न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी लूनकरनसर

बअदालत :— भागीरथ शाख आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या :— 13 / 2020

1. आशिक हुसैन पुत्र मौहम्मद हुसेन जाति मुसलमान निवासी चक 9 केवाईडी तहसील खाजुवाला, जिला बीकानेर।

—अपीलान्ट —

—बनाम—

1. ग्राम पंचायत बामनवाली जरिये सरपंच बामनवाली तहसील लूनकरनसर जिला बीकानेर।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, लूनकरनसर

— रेस्पोडेन्टस्

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 20.12.2019 ग्राम पंचायत बामनवाली ईन्तकाल नम्बर 131 अस्वीकृत किया गया अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956।

उपस्थित :—

1. श्री मोहम्मद सबीर परिहार अपीलान्ट की ओर से ।
2. रेस्पोडेन्ट संख्यां 1 की ओर कोई उपस्थित नहीं ।
3. पैरोकारराज राज्य की ओर से।

दिनांक :— 10-6-2020

—:निर्णय:—

पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलान्ट व राज पैरोकार उपस्थित। इस पत्रावली से सम्बन्धित तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि अपीलान्ट ने यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहत सरपंच ग्राम पंचायत बामनवाली के आदेश दिनांक 20.12.2019 के विरूद्ध इस आशय की पेश की है कि अपीलान्ट ने जरिये पंजीकृत बैयनामा दस्तावेज संख्या 20190324710[illegible] दिनांक 19.09.2019 के द्वारा पूर्व खातेदार बाल्मिक भाई चिते पुत्र संतोष [illegible] 1920 अयोध्या नगर गोकुल नगर के सामने गोत्री रोड़ बडोदरा (गुजरात) [illegible] खसरा संख्या 2[illegible] रकबा 7.59 हैक्टेयर वाके रोही किस्तुरिया तहसील लूनकरनसर क[illegible] किया है जिसका क[illegible]विधिवत रूप से भौतिक रूप से सौंप दिया था तथा बैयनाम जिस पर मुल अपीलान्ट का उक्त वर्णित शेष भूमि पर निर्विघ्न रूप से शांतिपूर्वक काबिज काश्त चला आ रहा हूँ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Shakh
Date: 2021.07.29 12:45:17 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
लूणकरणसर

यह कि उक्त पंजीबद्ध बैयनामा दिनांक 19.09.2019 का नामान्तरण संख्या 131 दिनांक 26.11.2019 को पटवारी हल्का द्वारा विधिवत रूप से दर्ज किया गया था तथा गिरदावर हल्का धीरेरां द्वारा दिनांक 04.12.2019 को जांच कर ग्राम पंचायत बामनवाली को वास्ते तस्दीक पेश किया गया।

ग्राम पंचायत बामनवाली जरिये सरपंच उक्त विधिवत रूप से सही दर्ज इन्तकाल संख्या 131 को अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिये बिना राजनीतिक दुर्भावानापूर्वक ईर्ष्यापूर्वक से प्रेरित होकर प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत इकतरफा तौर पर कब्जा मुझ अपीलांट का नहीं होना बतलाकर एवं असत्य रूप से उक्त कृषि भूमि के नामान्तरण संख्या 131 को विधि विरूद्ध ढंग से दिनांक 20.12.2019 को अस्वीकृत कर दिया । सरपंच ग्राम पंचायत बामनवाली द्वारा ईन्तकाल संख्या 131 यह लिखकर ''क्रेता विक्रेता का मौका पर कब्जा नहीं होने के कारण अस्वीकृत किया जाता हैं।'' अस्वीकृत कर दिया जबकि विक्रेता ने उक्त भूमि पूर्व खातेदार सुन्दर पुत्री खेताराम कौम कुम्हार साकिन करणीसर से क्रय की थी जिसका नामान्तरण संख्या 103 है उक्त ईन्तकाल संख्या 103 को ग्राम पंचायत बामनवाली जरिये सरपंच द्वारा दिनांक 20.07.2019 को स्वीकृत किया गया था परन्तु मुझ अपीलान्ट के नामान्तरण संख्या 131 को बिना जांच किये बिना सुनवाई का अवसर दिये एक तरफाा तौर पर अस्वीकृत कर कानूनी भूल की हैं।

पंजिबद्ध विक्रय पत्र के आधार पर मौके पर कब्जा प्राप्त कर लिया और उक्त विक्रय पत्र दिनांक 19.09.2019 में मौके पर कब्जा प्राप्त करने का अंकन हो गया तो अब अलग से कब्जा प्राप्त करने का कोई औचित्य ही नहीं था इस प्रकार सरपंच पंचायत बामनवाली द्वारा बिना मौका जांच मनमर्जी व बिना अधिकार के पारित आदेश निरस्त योग्य है। ग्राम पंचायत बामनवाली का ईन्तकाल अस्वीकृति का आदेश दिनांक 20.12.2019 क्षेत्राधिकार विहीन होने से एबिनिशियों वॉयड हैं इसलिये आदेश निरस्त किये जाने योग्य हैं।

अपीलान्ट ने उक्त क्षेत्राधिकार से बाहर बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये ईन्तकाल संख्या 131 को अस्वीकृति के आदेश निरस्त करने हेतु निवेदन किया साथ ही यह भी निवेदन किया कि अपीलान्ट का कृषि भूमि पर चारो तरफ तारबंदी की हुई । खेत में झोपड़ी बनी हुई हैं एवं पानी का कुण्ड भी बना हुआ है अतः अपील स्वीकार फरमाई जाकर आदेश दिनांक 20.12.2019 निरस्त फरमाया जावें अपील पूर्ण कोर्ट फीस पर एवं अन्दर मियाद हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Shakh
Date: 2021.07.29 12:15:17 IST
Reason: SelfAttested

अपील अपीलान्ट दर्ज कर रेस्पोडेन्टस को नोटिस जारी किये। नोटिस बाद तामील शामिल पत्रावली किये। रेस्पोडेन्ट सरपंच [illegible] विधिवत तामील के उपस्थित नहीं आने पर पुनः जरिये पत्र क्रमांक दिनांक 16.03.2020 को स्मरण पत्र जारी किया गया बावजूद स्मरण पत्र व नोटिस के ना तो रिकार्ड पेश किया ना ही स्वयं व प्रतिनिध उपस्थित हुए।

उपखण्ड अधिकारी
लूणकरणसर

पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलान्ट ने अपील के पक्ष में प्रस्तुत रिकार्ड बैयनामा दिनांक 19.09.2019 बैयनामा दिनांक 09.05.2011 ईन्तकाल संख्यां 131 व 103 की प्रमाणित प्रतियां पेश की इसके अलावा छायाचित्र रोही ग्राम किस्तुरियां के खसरा नम्बर 291 की 6.32 हैक्टेयर की मौका पर पीलर लगे होने के पेश किये।

बहस सुनी गई। वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित कथनों की पुनरावृति करते हुए पुनः कथन किया कि सरपंच ग्राम पंचयात बामनवाली ने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर बिना अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये एक तरफा तौर पर ईन्तकाल संख्यां 131 रोही किस्तुरिया का अस्वीकृत किया हैं। वकील अपीलान्ट ने पूर्व खातेदार सुन्दर की खातेदारी भूमि जरिये बैयनामा दिनांक 19.09.2019 से क्रय वर्तमान विक्रेता के पक्ष में ईन्तकाल संख्या 103 स्वीकृत किया गया है जबकि पश्नगत ईन्तकाल में अस्वीकृति का आधर मौका पर क्रेता व विक्रता का कब्जा ना होना बताया गया है जो सन्देहास्पद है इससे यह साफ तौर पर जाहिर होता है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा बिना किसी अधिकार व उचित कारण के अपीलाधीन आदेश पारित किया गया जो प्रारंभ से शुन्य व निरस्त योग्य हैं।

राज पैरोकार ने वकील अपीलान्ट की बहस का कोई प्रतिरोध नहीं किया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 बावजूद सूचना व स्मरण पत्र के जानबूझ कर अनुपस्थित रहा।

हमने बहस का मनन किया प्रस्तुत रिकार्ड का अवलोकन किया जहां तक मियाद का प्रश्न है अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत हुई है। विवादित ईन्तकाल संख्या 131 का अस्वीकृत करने का उचित कारण प्रतीत नहीं होता हैं। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत रिकार्ड विक्रय पत्र दिनांक 09.05.2011 को विक्रेता के पक्ष में स्वीकृत ईन्तकाल 103 दिनांक 20.07.2019 से प्रथम दृष्टतया यह साबित करता है कि अपीलान्ट का मौका पर कब्जा है रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने बिना पूर्ण जांच किये अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.12.2019 जिसमें यह ईन्तकाल 131 खारिज किया गया को अपास्त किया जाता है। अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर तहसीलदार लूनकरनसर को आदेश दिये जाते है कि यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदि नहीं हो एवं विवाद नहीं है तो पंजीकत बेयनामा के अनुसार नामान्तरण अपीलान्ट द्वारा क्रय की गई भूमि जोकि ग्राम रोही किस्तुरिया के खसरा नम्बर 291 में बैयनामा दिनांक 19.09.2019 को विधिवत पंजीकत बेयनामा क्रयशुदा है का नामान्तरणकरण अपीलान्ट के पक्ष में नियमानुसार नामान्तरणकरण दर्ज करने की कार्यवाही करे। इस आदेश की प्रमाणित प्रति पालनार्थ तहसीलदार लूनकरनसर को प्रेषित की जाकर पत्रावली निर्णय में शुमार होकर हस्ब जाब्ता दाखिल दफत्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 10.06.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Shakh
Date: 2021.07.29 12:45:17 IST
Reason: SelfAttested

10/6/2020

उपखण्ड अधिकारी
लूनकरनसर